

5.1

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020-21/2174

दिनांक - 12/1/2021


समस्त प्राध्यापक/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के आवेदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्व में प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित महाविद्यालय जांच कर जिला नोडल अधिकारी को अर्पित करें।

राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत इन्टिग्रेटेड कोर्सज (B.A-B.ED/ B.SC.-B.ED/ B.COM-B.ED/ B.A-LLB/ B.COM-LLB/ B.SC-LLB etc.) के विद्यार्थियों के योजना में प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायें तथा कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बिना प्राप्तांक प्रतिशत उत्तीर्ण से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आगामी कक्षा में अध्ययनरत (Promote) विद्यार्थियों के प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकृत नहीं किये जायें।


योजना के नियम विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Online Scholarship लिंक पर अवलोकन करावे।


(संदेश नायक)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

दिनांक - 12/1/2021

क्रमांक एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2020-21/2175
प्रतिलिपि-प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


वित्तीय कलहाकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

आदेश

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, पुमन्तु एवं अर्द्धपुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरार विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं शिक्षण संस्थानों हेतु जारी सतत्पूर्ण निर्देश निम्न है :-


सत्र	दिशा निर्देश
शैक्षणिक 2021-22 से अगिम तक	<p>सत्र से दिशा-निर्देशों</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संस्थान विद्यार्थी की उपस्थिति आधार आधारित दर्ज करना सुनिश्चित करावें। • विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों के पंजीयन हेतु AISHE/UDISE CODE अनिवार्य है। • उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों को सत्र 2024 से पूर्व NAAC/NBA accreditation होना अनिवार्य होगा।
शैक्षणिक 2016-17 2020-21 तक	<p>सत्र से</p> <ul style="list-style-type: none"> • कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्तर पर अग्रेषित नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक संख्या में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान पर लंबित है। जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। <p>अतः विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयवधि में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित करावें अन्यथा निर्धारित समयवधि उपरान्त शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। उक्त कारणवश: यदि विद्यार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान ही उत्तरदायी होगा।</p>

3

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

संख्या 880/21 333 - 1000

- 1. निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है -
- 2. मुख्य सचिव, मानवीय मूल्यांकन मंडल, जयपुर।
- 3. सहायक मानवीय मंडल सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 5. निजी सचिव शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
- 6. निजी सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
- 7. निदेशक माध्यमिक शिक्षा संस्कृत बीकानेर/जयपुर।
- 8. निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशक (परिक्षण), प्राथमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
- 9. उच्च शिक्षा संचालक राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज. जयपुर।
- 10. जिला कलेक्टर कोषाधिकारी (समस्त)।
- 11. वितीय सहायक, मुख्यावास।
- 12. समूह निदेशक (देव-नारायण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 13. रजिस्ट्रार हीन निदेशक, पशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त.....।
- 14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / सामाजिक संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
- 15. प्रचार राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
- 16. प्रथमचर्य राजकीय प्रौद्योगिक महाविद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्यय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
- 17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
- 18. सरल प्रथम, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
- 19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने वेबसाइट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
- 20. उच्च निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 22. रक्षित पं. मंगली।


 03/06/22
 अतिरिक्त निदेशक
 (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)